रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20/6/2022

क्रमांक/अका./2022/6648

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के,
प्राचार्यगण

विषयः – सत्र 2022–2023 की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क बावत् ।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के पत्र क्रमॉक/अका./2021/6216 दिनॉक 20/12/2021, पत्र क्रमॉक/अका./2022/6249 दिनॉक 19/01/2022 एवं पत्र क्रमॉक/अका./2022/6291 दिनॉक 22/02/2022 एवं पत्र क्रमॉक/अका./2022/6398 दिनॉक 16/03/2022 के द्वारा आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की वार्षिक सम्बद्धता/निरतंरता शुल्क बिना विलम्ब शुल्क के दिनॉक 31/03/2022 तक अनिवार्य रूप से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करने हेतु कहा गया था।

जिन शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा दिनॉक 31/03/2022 तक शुल्क जमा नहीं किया गया है, वह कुल राशि के साथ 25% अतिरिक्त अधिभार की राशि जोड़कर जमा करें, यदि आपके द्वारा दिनॉक 30/06/2022 तक वार्षिक सम्बद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो दिनॉक 01/07/2022 से कुलराशि का 100% अतिरिक्त अधिभार शुल्क जमा करना होगा। जमा की गई राशि की दो हार्ड कॉपी वि0वि0 में प्रस्तुत करें, जिससे सम्बद्धता/निरतंरता संबंधी कार्यवाही सम्पन्न कराई जा सके ।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

17/06/22

कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 20/6/2022

पृ0 क्रमांक/अका./2022/6648"अ"
प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
3. नोडल अधिकारी ऑन लाईन (नोडल सेन्टर) से इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अवधि में पोर्टल खोलने की व्यवस्था करें ।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर